



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022022-233160
CG-DL-E-05022022-233160

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78।

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 2022/माघ 15, 1943

No. 78।

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2022/MAGHA 15, 1943

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2022

आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2022

(2022 का संख्या 01)

सं. के-11020/240/2021/अधि./भा.वि.प.प्रा. (2022 का संख्या 01).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 यथा संशोधित आधार एवं अन्य अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम 2019 (2019 की संख्या 14), की धारा 54 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खंड (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद द्वारा आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का संख्या 2), को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन विनियमों को आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का संख्या 01) कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 2(1)(कक) के उपरांत 2(1)(कख) के रूप में निम्नलिखित नयी परिभाषा की प्रविष्टि:

“(कख) “आधार पत्र” का अभिप्राय किसी निवासी के आधार नंबर को संसूचित करने वाले दस्तावेज से है;”

3. आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 2(1)(खग) के उपरांत 2(1)(खघ) के रूप में निम्नलिखित नयी परिभाषा की प्रविष्टि:

“(खघ) “आधार पीवीसी कार्ड” का अभिप्राय एक पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड (पीवीसी) से है, जो निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें आधार नंबर, जनसांख्यिकीय जानकारी और आधार नंबर धारक की फोटो के साथ आधार सुरक्षित क्यूआर कोड मुद्रित होता है और जो कागज-आधारित आधार पत्र के समतुल्य है;”

4. आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 2(1)(टक) के उपरांत 2(1)(टख) तथा 2(1)(टग) के रूप में निम्नलिखित नयी परिभाषाओं की प्रविष्टि:

“(टख) “डिजिटल हस्ताक्षर” का अभिप्राय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (द) में यथा परिभाषित डिजिटल हस्ताक्षर से है; “

“(टग) “ई-आधार” का अभिप्राय पासवर्ड से सुरक्षित आधार पत्र की इलेक्ट्रॉनिक प्रति से है, जो प्राधिकरण द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है और इसे आधिकारिक वेबसाइट या प्राधिकरण के मोबाइल ऐप्लिकेशन से डाउनलोड किया जा सकता है;”

5. आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 2(1)(ढ) के उपरांत 2(1)(ढक) के रूप में निम्नलिखित नयी परिभाषा की प्रविष्टि:

“(ढक) “एमआधार” का अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा विकसित आधिकारिक मोबाइल ऐप्लिकेशन से है जो आधार नंबर धारकों को सीआईडीआर के साथ पंजीकृत अपने आधार विवरण को साथ रखने के लिए एक इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जनसांख्यिकीय जानकारी और आधार नंबर धारक की फोटो के साथ आधार नंबर शामिल है;”

6. आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 16क के उपरांत निम्नलिखित नए विनियमों 16ख तथा 16ग की प्रविष्टि:

“16ख. आधार नंबर के स्वैच्छिक उपयोग का ढंग:

(1) आधार नंबर धारक, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अनुसार, आधार पत्र (या उसकी प्रति) अथवा मुद्रित ई-आधार या आधार पीवीसी सहित भौतिक रूप में आधार नंबर का स्वैच्छा से ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए किसी वैध प्रयोजन हेतु उपयोग कर सकता है तथा ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्था (ओवीएसई) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित आधार सुरक्षित क्यूआर कोड¹ द्वारा आधार पत्र या मुद्रित ई-आधार अथवा आधार पीवीसी कार्ड पर मुद्रित विवरण को सत्यापित करेगी।

(2) आधार नंबर धारक, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अनुसार, ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने के लिए किसी वैध प्रयोजन हेतु ई-आधार या आधार कागजरहित ऑफलाइन ई-केवाईसी (एक्सएमएल) अथवा एमआधार सहित, इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार नंबर का स्वैच्छा से उपयोग कर सकता है तथा ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्था (ओवीएसई) डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करेगी।

(3) आधार नंबर धारक, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अनुसार, अधिकृत अनुरोधकर्ता संस्था के माध्यम से हां/नहीं या ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने के लिए किसी वैध प्रयोजन हेतु प्रमाणीकरण के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार नंबर का उपयोग कर सकता है।”

¹ यूआईडीआईआई क्यूआर कोड पढ़ने और डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए मोबाइल आधारित ऐप्लिकेशन प्रदान करता है। ओवीएसई इन दोनों कार्यों के लिए अपनी ऐप्लिकेशन को अनुकूल बना सकती है।

“16ग. आधार नंबर धारक की पहचान के प्रमाण के रूप में आधार नंबर को स्वीकार करने की शर्तें:

(1) कोई भी ऑफ़लाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्था, आधार नंबर को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में (प्रमाणीकरण के बिना), किसी वैध उद्देश्य के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में, आधार पत्र पर आधार सुरक्षित क्यूआर कोड या ई-आधार अथवा एमआधार या आधार कागजरहित ऑफ़लाइन ई-केवाईसी (एक्सएमएल), जैसा भी मामला हो, में प्रदान किए गए प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर के पूर्व सत्यापन बिना स्वीकार नहीं करेगी।

(2) कोई भी अनुरोधकर्ता संस्था आधार नंबर को, आधार नंबर धारक की पहचान के प्रमाण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रमाणीकरण के माध्यम से तब तक स्वीकार नहीं करेगी, जब तक कि यह एक वैध उद्देश्य के लिए न हो, जो अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अनुरूप हो और आधार नंबर धारक की संसूचित सहमति के साथ तथा इन आधार (अधिप्रमाणन और ऑफ़लाइन सत्यापन) विनियम, 2021 में यथा उपबंधित ढंग में हो।”

डॉ. सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./632/2021-22]

नोट: मुख्य विनियमों को दिनांक 08 नवम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या: के-11020/240/2021/अधि./भा.वि.प.प्रा. (2021 का संख्या 2) के तहत भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित किया गया था।

THE UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2022

AADHAAR (AUTHENTICATION AND OFFLINE VERIFICATION) (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2022 (No. 01 of 2022)

No. K-11020/240/2021/Auth/UIDAI (No. 01 of 2022).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-clause (c) of sub-section (2) of Section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 as amended vide “The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (No. 14 of 2019)”, the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021 (No.2 of 2021), namely:-

1. Short title and commencement.—

- (1) These Regulations may be called the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) (First Amendment) Regulations, 2022 (No. 01 of 2022).
- (2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Insertion of new Regulation 2(1)(ab) after Regulation 2(1)(aa) of the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021.-

“(ab) “Aadhaar Letter” means a document for conveying the Aadhaar number to a resident;”

3. Insertion of new Regulation 2(1)(bd) after Regulation 2(1)(bc) of the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021.-

“(bd) “Aadhaar PVC Card” means a Polyvinyl Chloride Card (PVC), issued by the Authority upon payment of prescribed charges, which has Aadhaar number, demographic information and photograph of an Aadhaar number holder printed on it along with Aadhaar Secure QR code and is equivalent to paper-based Aadhaar Letter;

4. Insertion of new Regulation 2(1)(ib) and Regulation 2(1)(ic) after Regulation 2(1)(ia) of the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021.-

“(ib) **“Digital signature”** means digital signature as defined in clause (p) of sub-section (1) of Section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);”

“(ic) **“e-Aadhaar”** means a password protected electronic copy of Aadhaar letter, which is digitally signed by the Authority and can be downloaded from the official website or mobile application of the Authority;

5. Insertion of new Regulation 2(1)(la) after Regulation 2(1)(l) of the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021.-

“(la) **“mAadhaar”** means the official mobile application developed by the Authority to provide an interface to Aadhaar Number holders to carry their Aadhaar details as registered with CIDR which *inter alia* includes Aadhaar number along with demographic information and photograph of the Aadhaar number holder;”

6. Insertion of new Regulation 16B and Regulation 16C after Regulation 16A of the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021.-

“16B. Manner of voluntary use of Aadhaar number:

- (1) An Aadhaar number holder may, in accordance with sub-section (3) of section 4 of the Act, voluntarily use the Aadhaar number in physical form, including Aadhaar letter (or copy thereof) or printed e-Aadhaar or Aadhaar PVC Card for a lawful purpose for establishing his identity by way of offline verification and the OVSE shall verify the printed details on Aadhaar letter or printed e-Aadhaar or Aadhaar PVC card with digitally signed Aadhaar Secure QR code¹.
- (2) An Aadhaar number holder may, in accordance with sub-section (3) of section 4 of the Act, voluntarily use the Aadhaar number in electronic form, including e-Aadhaar or Aadhaar Paperless Offline e-KYC (XML) or m-Aadhaar for a lawful purpose for establishing his identity by way of offline verification and the Offline Verification Seeking Entity shall verify the digital signature.
- (3) An Aadhaar number holder may, in accordance with sub-section (3) of section 4 of the Act, voluntarily use the Aadhaar number in electronic form by way of authentication for a lawful purpose for establishing his identity by way of Yes/No or eKYC authentication facility through an authorized requesting entity.”

“16C. Conditions for accepting an Aadhaar number as proof of identity of the Aadhaar number holder:

- (1) No Offline Verification Seeking Entity shall accept Aadhaar number, in physical or electronic form (without authentication), as a proof of identity for a lawful purpose, without first verifying the digital signature of the Authority as provided in the Aadhaar secure QR Code on Aadhaar Letter or e-Aadhaar or m-Aadhaar or Aadhaar Paperless Offline e-KYC (XML), as the case may be.
- (2) No requesting entity shall accept Aadhaar number as a proof of identity of the Aadhaar number holder, in electronic form by way of authentication, unless it is for a lawful purpose which is in conformity with the relevant provisions of the Act and only with the informed consent of the Aadhaar number holder and in a manner as provided in these Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021.”

Dr. SAURABH GARG, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./632/2021-22]

¹ UIDAI provides mobile based application for reading QR code and verifying digital signature. OVSE may customize their application for both these functions.

Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification No. K-11020/240/2021/Auth/UIDAI (No. 2 of 2021) dated 8th November, 2021.